भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2461

जिसका उत्तर सोमवार, 15 दिसम्बर, 2025/24 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया गया

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

†2461. श्री जगदम्बिका पाल:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जिसमें कृषि, प्रसंस्करण संबद्ध कृषि और ग्रामीण एमएसएमई जैसे उभरते क्षेत्र शामिल हैं, की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की क्षमता, की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) अनुकूल वित्तीय उत्पादों और बेहतर सेवा वितरण के माध्यम से किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को सहायता प्रदान करने के लिए आरआरबी को जारी किए गए दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा विस्तार या डिजिटल अवसंरचना के माध्यम से वित्तीय रूप से अल्पसेवित ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा बढ़ाने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन योजनाओं के अंतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निष्पादन में सुधार लाने तथा नाबार्ड और राज्य सरकारों के साथ बेहतर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): भारत सरकार राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर कृषि प्रसंस्करण, संबद्ध कृषि और ग्रामीण, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) जैसे उभरते क्षेत्रों सहित ग्रामीण अर्थव्यवस्था की उभरती हुई ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के कार्य-निष्पादन की नियमित रूप से समीक्षा कर रही है। विगत चार वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री की अध्यक्षता में आरआरबी की निम्नलिखित समीक्षाएं आयोजित की गई हैं:

क्र.सं.	राष्ट्रीय/क्षेत्रीय स्तर	तारीख और स्थान
1.	राष्ट्रीय स्तर पर	07.07.2022, नई दिल्ली
2.	पूर्वोत्तर आरआरबी	21.07.2023, अगरतला
3.	दक्षिणी आरआरबी	04.08.2023, चेन्नई
4.	उत्तरी आरआरबी	30.08.2023, नई दिल्ली
5.	राष्ट्रीय स्तर पर	19.08.2024, नई दिल्ली
6.	पश्चिमी-मध्य आरआरबी	22.08.2024, उदयपुर
7.	पूर्वोत्तर आरआरबी	30.09.2024, ईटानगर
8.	दक्षिणी आरआरबी	09.11.2024, बेंगलुरु
9.	पूर्वी आरआरबी	29.11.2024, पटना
10.	कर्नाटक ग्रामीण बैंक	16.10.2025, बेल्लारी

इसके अतिरिक्त, अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) ने विभिन्न स्तरों पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और प्रायोजक बैंकों के साथ आवधिक और नियमित बैठकें आयोजित की हैं।

समीक्षा बैठकों की कार्यसूची में अन्य *बातों के साथ-साथ* निम्नलिखित शामिल हैं -

(i) वित्तीय मानकों और प्रौद्योगिकी उन्नयन संबंधी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा।

(ii) एमएसएमई पोर्टफोलियो पर जोर।

(iii) कृषि-संबद्ध, एमएसएमई और खुदरा क्षेत्रों के लिए ऋण विविधीकरण को महत्व देना।

(ख): राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने "बैंकों द्वारा किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के वित्तपोषण के लिए एक मार्गदर्शन नोट" तैयार किया था और उसे बैंकिंग क्षेत्र में व्यापक प्रसार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को प्रस्तुत किया था। इसके अनुसरण में, आरबीआई ने वर्ष 2020 में भारतीय बैंक संघ (आईबीए) को यह सलाह दी है कि वह अपने सदस्य बैंकों के बीच मार्गदर्शन नोट प्रसारित करे ताकि उनके संबंधित बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुरूप उसमें उल्लिखित ऋण मूल्यांकन अवसंरचना को तेजी से और प्रभावी रूप से अपनाने की सुविधा मिल सके। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने आईबीए से प्रायोजक बैंकों को निर्देश देने का अनुरोध किया हैं कि वे मार्गदर्शन नोट को आरआरबी के साथ साझा करें|

(ग): सरकार का प्रयास देश के सभी बसावट वाले गांवों के 5 किलोमीटर के भीतर बैंकिंग आउटलेट (बैंक शाखा/व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी)/इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी)) की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। बैंकिंग आउटलेट्स की उपलब्धता की निगरानी भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) आधारित ऐप द्वारा की जाती है, जिसका नाम जन धन दर्शक (जेडीडी) ऐप है। जेडीडी ऐप पर बैंकों द्वारा अपलोड किए गए आंकड़ों के आधार पर, दिनांक 31.10.2025 की स्थिति के अनुसार, देश के 99.91% गांव 5 किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग आउटलेट (बैंक शाखा/बीसी/आईपीपीबी) से कवर किए गए हैं।

(घ): वित्तीय सेवाएं विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, निजी बैंकों, लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) और सहकारी बैंकों की भागीदारी के साथ व्यापक वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के उद्देश्य से दिनांक 01.07.2025 से दिनांक 31.10.2025 तक ग्राम पंचायत (जीपी) स्तरीय परिपूर्णता अभियान शुरू किया।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय वित्तीय-समावेशन योजनाओं के अंतर्गत आरआरबी के कार्य-निष्पादन में सुधार के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं -

(i) जन सुरक्षा योजना पोर्टल पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को शामिल करने से वे अपने ग्राहकों के लाभ के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के संबंध में नामांकन और दावों का निपटान करने में सक्षम हुए हैं।

(ii) वित्तीय और डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को नाबार्ड द्वारा वित्तीय सहायता। इन कार्यक्रमों में बैंकिंग ग्राहकों में बैंकिंग उत्पादों, भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, डिजिटल बैंकिंग और साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करना शामिल है।

(iii) वर्ष 1992 से, नाबार्ड ने गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एमएफआई), प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) आदि को, स्व-सहायता समूहों (एसएचजी)

को बढ़ावा देने, पोषित करने और ऋण सहबद्ध करने के लिए, सहायता प्रदान की है। नाबार्ड ने अपने ब्याज अनुदान पोर्टल के माध्यम से दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत एसएचजी ब्याज सहायता दावों के तेजी से निपटान में भी मदद की है। इसके अतिरिक्त, यह संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) के गठन और क्षमता निर्माण के लिए अनुदान सहायता भी प्रदान करता है।

(iv) नाबार्ड ने कृषि ऋण प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए ईकिसानक्रेडिट (ईकेसीसी) पोर्टल विकसित किया है जिससे ऋण संवितरण के लिए प्रत्यवर्तन काल (टर्नअराउंड समय) को कम करने में मदद मिलेगी।

(v) पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ग्राहक सेवा केन्द्रों/बीसी के लिए नाबार्ड की प्रोत्साहन योजना। बीसी को दुर्गम क्षेत्रों में परिचालन के लिए उनके द्वारा किए गए व्यय की भरपाई के लिए मासिक पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है।

(vi) नाबार्ड द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को माइक्रो ऑटोमेटेड टेलर मशीन (माइक्रो-एटीएम), प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस)/मोबाइल प्वाइंट ऑफ सेल (एमपीओएस) उपकरणों और डेमोस्ट्रेशन वैन जैसे बैंकिंग टचप्वाइंट अभिनियोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता हैं।

*****